

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूसरांश : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 105 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 10/7/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 इ0 के किमी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर—ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ— भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0 दिनांक 03.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	As per part II of the proposal, total number of trees are counted in the proposed diversion area are 5981 and as per submitted enumeration list total numbers of trees in proposed forest area are 7882. The concern DFO shall submit and upload the correct tree details.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के सापेक्ष प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 7929 है, जिसकी संशोधित सूची प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी है, सूची के अनुसार बिन्सर वन्यजीव विहार में कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या 3563 व आरक्षित, वन पंचायत तथा सिविल में कुल 4163 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त मलवा निस्तारण हेतु चयनित क्षेत्र में कुल 203 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन का चयन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आरक्षित वन भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।
2	The user agency shall upload a proper KML file of proposed diversion area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा केएमएल0 समरेखण के अनुसार अपडेट कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।